06. एकरारनामा में निहित सभी शर्त्तों का अनुपालन खादी संस्थाओं/समितियों को अनिवार्य रूप से किया जायेगा। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी संस्थाओं के मध्य एकरारनामा पर हस्ताक्षर होने के बाद ही स्वीकृत कार्यशील पूँजी (ऋण) का भुगतान किया जायेगा।

07. संस्था/समितियों प्रत्येक तीन माह में (त्रैमासिक) में कार्यशील पूंजी की राशि उपयोग के उपरान्त एक व्यय/उपयोग प्रतिवेदन बोर्ड मुख्यालय को समर्पित करेंगें।

08. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से की जाएगी।

09. खादी संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के द्वारा किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 26/9/17

ज्ञापांक– खा0/124 पटना, दिनांक–26/09/2017

प्रतिलिपि :– उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 26/9/17

ज्ञापांक– खा0/124 पटना, दिनांक–26/09/2017

प्रतिलिपि :– उप मु0 का0 पदा0/प्र0 पदा0/स0ले0पदा0 (प्र0)/प्र0 स0 (खादी पुर्न0 यो0)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 26/9/17

ज्ञापांक– खा0/124 पटना, दिनांक–26/09/2017

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 26/9/17

ज्ञापांक– खा0/124 पटना, दिनांक–26/09/2017

प्रतिलिपि :–सहायक लेखा पदाधिकारी (अंकेक्षण/खादी पुर्नरूद्धार योजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 26/9/17

ज्ञापांक– खा0/124 पटना, दिनांक–26/09/2017

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

26/9/2017 सुरेश 26/9/17

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 26/9/17

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना –4

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या–01 / खा0–10 / 2015–16

बिहार सरकार, उद्योग विभाग की संकल्प संख्या–4671 दिनांक–19.12.2014 द्वारा बिहार में स्थित खादी संस्थाओं को खादी पुर्नरूद्धार योजना के तहत चरखा, करघा एवं कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है। उक्त संकल्प के कंडिका 3 तीन के अनुसार संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में दिया जायेगा, जिसपर 4% (चार प्रतिशत) के दर से संस्था/समिति द्वारा ब्याज (सूद) देय होगा।

02. बिहार सरकार, उद्योग विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक सं0–1511/पटना दिनांक–29.03.2016 के आलोक में ग्राम निर्माण मंडल, सेखोदेवरा, नवादा द्वारा बिहार स्थित जिन 35 संस्था/समितियों के बीच कुल 1000 (एक हजार) त्रिपुरारि मॉडल चरखा उपलब्ध कराया गया है, उन संस्थाओं को ही प्रथम चरण में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जायेगा।

03. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा महाप्रबंधक को बिहार स्थित खादी संस्था/समितियों को उपलब्ध कराये गये चरखा का सत्यापन हेतु निदेश दिया गया है कि सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चरण में कार्यशील पूँजी आपूर्ति किये गये चरखा के आधार पर प्रति चरखा रू0 47,462.00 (सैंतालीस हजार चार सौ बासठ) रूपये मात्र के दर से भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलबध कराये गये चरखा की संख्या	कार्यशील पूँजी प्रति चरखा के दर से	कार्यशील पूँजी हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि
1	सारण जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, सलेमपुर, छपरा	15	47,462.00	7,11,930.00
2	माँ जानकी खादी ग्रामोद्योग आश्रम, ग्राम+पोस्ट- आगानगर, पुरूषोतमपुर, जिला-मुजफ्फरपुर	15	47,462.00	7,11,930.00
3	कटरा क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग संघ, जिला- मुजफ्फरपुर	10	47,462.00	4,74,620.00
4	भागलपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, नया बाजार, भागलपुर	50	47,462.00	23,73,100.00
		कुल :-		**42,71,580.00**

रू0–42,71,580/– (बेयालिस लाख एकहत्तर हजार पॉच सौ अस्सी रूपये)।

04. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं संस्था/समितियों के अध्यक्ष/मंत्री के साथ एकरारनामा होने के उपरान्त ही कार्यशील पूँजी का भुगतान किया जायेगा।

05. एकरारनामा का प्रारूप (Format) इसके साथ संलग्न है एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के बेवसाईट www. kvibbihar.com पर भी उपलब्ध है।